वर्ष 2011-2012 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रण किया जाना

वर्ष 2011-2012 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के लिए उद्योगों में अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की निम्नलिखित अभिनिर्धारित श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने प्रदूषण की रोकथाम करने वाली प्रौद्योगिकियों, उत्पादों अथवा पद्धतियों के विकास अथवा उपयोग में तथा पर्यावरणीय समस्याओं का नवीन हल तलाशने में महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय योगदान दिया हो :-

बड़े उद्योग :

(1) चीनी (2) उर्वरक (3) सीमेंट (4) फर्मेन्टेशन तथा डिस्टिलरी (5) एल्युमिनियम (6) पेट्रो-केमिकल्स (7) थर्मल पावर (8) कास्टिक सोडा (9)ऑयल रिफाइनरी (10) सल्फ्यूरिक एसिड (11) टैनरीज (12) कापर स्मेल्टिंग (13) जिंक स्मेल्टिंग (14) आयरन एवं स्टील (15) पल्प एवं पेपर (16) डाई एवं डाई इंटरमीडिएट्स (17) कीटनाशक (18) फार्मेस्यूटिकल्स ।

लघु उद्योग :

1. टैनरीज 2. पल्प एवं पेपर 3. डाई और डाई इंटरमीडिएट्स 4. कीटनाशक 5. फार्मेस्यूटिकल्स

पुरस्कारों का स्वरूप

राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार 23 उद्योगों को (18 बडे उद्योगों तथा 5 लघु उद्योगों को) प्रदान किए जाएंगे। जिनमें उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के एक उद्योग को वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार दिया जाएगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार विशेष रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को दृष्टिगत रखते हुए। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम पुरस्कार हेतु नामांकन की समीक्षा करते समय चयन समिति द्वारा अभिनिर्धारित इन उद्योगों में से एक श्रेष्ठतम उद्योग को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार में एक लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति -पत्र भी दिया जाएगा, जिसे पुरस्कार विजेता हमेशा के लिए अपने पास रख सकेंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार में दो लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति -पत्र भी दिया जाएगा, जिसे पुरस्कार विजेता हमेशा के लिए अपने पास रख सकेंगे।

पात्रता :

उपर्युक्त श्रेणी के उद्योगों से संबद्ध ऐसी औद्योगिक इकाई जो निर्धारित मानदंड पूरे करती हो उपर्युक्त पुरस्कारों के लिए नामांकन हेतु पात्र होगी। अधिक जानकारी के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट http://moef.nic.in देखें अथवा अधोहस्ताक्षरी अथवा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली अथवा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क करें।

नामांकन जमा कराने का तरीका :

राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कारों यथा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (आईजीपीपी) आदि के विगत पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा उद्योग एवं वाणिज्य से संबंधित किसी संगठन यथा औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक एसोसिएशंस अथवा औद्योगिक संवर्धन निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां पुरस्कारों हेतु उपर्युक्त में से किसी श्रेणी के उद्योग से संबद्ध किसी औद्योगिक नामांकन विधिवत भरे हुए निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में संबद्ध उद्योग के आवेदन सहित, प्रेषित कर सकते हैं :-

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2. प्रस्तावक (व्यक्ति/संगठन) का नाम व पता
3. औद्योगिक इकाई (बड़ा/लघु उद्योग) की श्रेणी
4. विगत में प्राप्त किए पुरस्कारों यदि कोई हो, का विवरण
5. औद्योगिक इकाई द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण योगदान (नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकी के बारे में विशेष योगदान,वहनीयता, व्यापक प्रयोक्ताओं अथवा लक्ष्य समूहों आदि के बारे में एक संक्षिप्त लेख) :

स्व-नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा

प्रस्तावक द्वारा विधिवत् प्रमाणित नामांकन दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

वैज्ञानिक 'एफ'/निदेशक (डॉ. आर.के.सूरी)
प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
(दूरभाष सं. 011-24361668, मो. 9818165238, ईमेल : suri.rk@nic.in)

नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2012 है ।